नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/10/14	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर विधायी कार्य मे व्यस्त वकीलों द्वारा कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 09-11-2014 को पेश हों।	
05/11/14	पत्रावली पेश हुई आज S,D.O. साहब दौरे पर विधायी कार्य मे व्यस्त वकीलों द्वारा कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 22-12-2014 को पेश हों।	
22/12/14	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर विधायी कार्य मे व्यस्त वकीलों द्वारा कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 04-02-2015 को पेश हों।	
4/2/15	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर विधायी कार्य मे व्यस्त वकीलों द्वारा कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 23-04-2015 को पेश हों।	
23/4/15	सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय सांगावास अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 01-06-15 को पेश हो।	
1-6-2015	वकील वादीगण मय वादीगण उपस्थित। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत-अटल सेवा केन्द्र - सांगावास पर पेश हुई वादीगण सं. 1 व 2 उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह उदावत अधिवक्ता का वकालतनामा पेश होने से दिनांक 10-02-2011 को वकालतनामा पेश [illegible] किन्तु उनके लगातार गैरहाजिर [illegible] कोई प्रार्थना पत्र [illegible] गैरहाजिर [illegible] पेश नहीं किया है तथा कार्यवाही [illegible] पेश नहीं किया है तथा ना ही कोई जवाब दावा दस्तावेजात ही पेश किए है। लिहाजा वकील प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर समाप्त किया जाकर [illegible] बन्द किया जाता है। वकील वादीगण ने शपथपत्र वादी PW-1 भैराराम एवं PW-2 बाबाराम के [illegible] शपथ-पत्र पेश किए, साक्ष्य बंद की। बहस वकील वादीगण सुनी गई प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील वादीगण का मनन किया गया। वस्तुतः वादी सं. 1 पर [illegible] का मनन किया गया [illegible] के पिता वादी सं. 2 [illegible] स्थित राजस्व ग्राम सांगावास तहसील- जैतारण में स्थित खसरा नं. 86 रकबा 39=12 बीघा [illegible] के [illegible] राजस्व एवं खातेदार [illegible]	कागजात (2) ① पहचान कमाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहकाम की तारीख
	रिकार्ड अनुसार बखूबी प्रमाणित है। उक्त आराजी की विवादित भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। लिहाजा वादीगण का उक्त वाद डिक्री किया जाता है तथा उक्त विवादित आराजी की कृषि भूमि की सीमा में स्थित पुरानी रेत की खण्डहर, ईंटों की बाड़ का मौलिक नक्शा ऐसा नहीं हटाने, आवागमन का रास्ता अवरुद्ध न करने तथा इस स्थान पर किसी भी कोई निर्माण करवाना/प्रकार करने आदि हेतु जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है। डिक्री पत्र मुताबिक तैयार किया जावे। सामग्री हो पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर रिकार्ड नम्बर जमा हो। ह0	

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्याय)ालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) — सांगावास

(पीठासी)न अधिकारी:- श्री घनश्याम शर्मा, आर० ए० एस० .... ।

उनवान

(वादी)गण :- 1- भैरा पुत्र डोगा, 2- ... पुत्र भैराराम जातियान रावत नि० सांगावास

बनाम

प्रतिवादीगण :- 1- सुखदेव पुत्र शिवकरण, 2- गुमानाराम पुत्र भँवरलाल, जातियान - आर सा० सांगावास तह० जैतारण

(बाब)त :- दावा बाबत रास्ता बाद अन्तर्गत धारा 251 RT Act, 1955 ....

(वाद) नम्बर :- रा० वा० संख्या 192/10

(दि)नांक :- 01-06-2015

वादी की ओर से श्री भगवतीप्रसाद परिहार, अधिवक्ता वादीगण ......की व प्रतिवादी की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह उदावत अधि० प्रतिवादीगण

(उप)स्थिति में इस वाद में आज तारीख 01-06-2015 को ....

(पी)ठासीन अधिकारी) श्री घनश्याम शर्मा, RAS (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण ....

(अ)न्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - वादी का वाद (डिक्री) किया जाता है। मुरब्बा मौजा - सांगावास तहसील - जैतारण में स्थित खसरा (नम्ब)र 86 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा - चाही नम्बर की विवादित (जमीन) की सीमा में स्थित पुरानी खेत की रास्ता, वादी की बाड़ को क्षतिग्रस्त (न क)रने, आवागमन का रास्ता अवरुद्ध न करने तथा इस स्थान पर नहीं कोई (निर्मा)ण कच्चा/पक्का करने बाबत हेतु प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा (पाब)न्द किया जाता है। पत्रावली [illegible] जो बाद तकमील (...) दाखिल दफ्तर। खर्चा अपना अपना होगा।

....

पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 01-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर जैतारण

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
(वाद) पत्र के लिए स्टाम्प।	2=00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प।	1=00
(शक्ति) पत्र के लिए स्टाम्प।	1=00	अर्जी के लिए स्टाम्प।	
(अर्जि)यों के लिए स्टाम्प।	2=00	प्लीडर की फीस।	
.... रुपये पर प्लीडर की फीस।	2=00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय।	
(सा)क्षियों के लिए निर्वाह ...... व्यय।	—	आदेशिका की तामील।	
(कमी)श्नर की फीस।	—	कमीश्नर की फीस।	
(आ)देशिका की तामील।			
योग	7=00	योग	1=00

Scanned by CamScanner